[राज्य सभा द्वारा 6 मई, 2015 को पारित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 6-सी

[दि दिल्ली हाई कोर्ट ऐक्ट, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 5 का संशोधन।

1966 का 26

2. दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (2) में ''बीस लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो करोड़ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त 1918 के पंजाब अधिनियम 6 का संशोधन।

3. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 25 में, ''बीस लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो करोड़ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

मुख्य न्यायमूर्ति की अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित वादों और कार्यवाहियों को स्थानांतरित करने की शक्ति।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में लंबित है या हैं, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में ऐसे अधीनस्थ न्यायालय को स्थानांतरित कर सकेगा जिसे ऐसे वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता होती, यदि ऐसे वाद या कार्यवाहियां ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रथम बार में संस्थित या फाइल की गई होती। 5

GMGIPMRND—876RS(S-3)—06.05.2015.